अनुदान संख्या 11 – खान मंत्रालय
GRANT No. 11–MINISTRY OF MINES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*10,00*	*11,53*	*+1,53*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	400,61,00	400,62,00	370,88,41	–29,73,59
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				22,14,86
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	41,15,00	41,16,00	26,10,77	–15,05,23
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *1.53 लाख* रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 1,53,227 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *Rs.1.53 lakhs* (actual excess was Rs.1,53,227). **The excess requires regularisation by voting of excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Major Head "2853" Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	*10.00*	*11.53*	*+1.53*

(I) शीर्ष ''भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन तथा प्रशासन - प्रशासनिक सहायता'' के अंतर्गत *1.53 लाख रु.* का अधिक व्यय (*10.00 लाख रु.* के सवीकृत *विनियोग* की तुलना में) विधिक प्रतिबद्धता के प्रति अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(I) Under "Geological Survey of India - Direction and Administration - Administrative Support" - excess of *Rs.1.53 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.10.00 lakhs*) was due to payment towards legal commitment.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1647.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1647.00			
मुख्य शीर्ष "2853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Major Head "2853" Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	37593.00	36995.14	36282.33	–712.81
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–598.86			

(I) 1648.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1647.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.1648.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.1647.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" – "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2853'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2853" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण''-

(क) ''निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता''- 1079.84 लाख रु. की बचत (22778.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न ग्रेडो के पदों को समाप्त किए जाने और सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सर्वेक्षण और मानचित्राण - जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण''- 253.10 लाख रु. की बचत (2620.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने और मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय - विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय''- 319.36 लाख रु. की बचत (4799.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ विभागीय प्रकाशनों के मुद्रण में विलंब होने, टेंट लगाने के लिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से डेबिट वाउचर प्राप्त न होने और वाहनों के प्रतिस्थापन को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''खानों का विनियमन और विकास - खनिज अन्वेषण''-

(क) ''खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड द्वारा खनिज अन्वेषण कार्य''- 131.40 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय मंजूरी को अंतिम रूप न दिए जाने और स्वीकृत नई परियोजनाओं को प्रारंभ करने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) ''विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम''-147.22 लाख रु. की बचत (618.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्श समूह की स्थायी समिति द्वारा परियोजनाओं और स्कीमों के लिए स्वीकृति को अंतिम रूप न दिए जाने और पहले जारी किए गए संबंधित अभिकरणों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्रा प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Geological Survey of India" -

(a) "Direction and Administration-Administrative Support" - saving of Rs.1079.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22778.00 lakhs) was due to abolition of posts in different grades and restrictions in filling up of posts by direct recruitment.

(b) "Survey and Mapping-Ground, Aerial and Marine Survey"-saving of Rs.253.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2620.00 lakhs) was due to non-submission of bills by Shipping Corporation of India and less expenditure on wages.

(c) "Other Expenditure- Miscellaneous Major Expenditure on Different Operations" - saving of Rs.319.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4799.00 lakhs) was due to delay in printing of some departmental publications, non-receipt of debit vouchers from Director General of Supplies and Disposals for tentages and non-materialisation of replacement of vehicle.

(B) "Regulation and Development of Mines - Mineral Exploration" -

(a) "Mineral Exploration work by Mineral Exploration Corporation Ltd." - saving of Rs.131.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non-finalisation of financial sanction and delay in commencement of sanctioned new projects.

(b) "Science and Technology Programme" - saving of Rs.147.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.618.00 lakhs) was due to non-finalisation of sanction for projects and schemes by Standing Committee of Advisory Group and non-production of utilisation certificates by concerned agencies for earlier releases.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (107.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2853'' - ''खानों का विनियमन और विकास - अन्य व्यय - भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदान'' के अंतर्गत दिसंबर, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2853'' के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - अन्य व्यय - सूचना एवं प्रौद्योगिकी''- 348.18 लाख रु. का अधिक व्यय (675.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आधुनिकीकरण प्रक्रिया को लागू किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो''- 196.59 लाख रु. का अधिक व्यय (2784.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3.(I) The above savings were partly (Rs.107.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2005 under Major Head "2853" - "Regulation and Development of Mines - Other Expenditure - Grants to Bharat Gold Mines Ltd."

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2853" - under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India - Other Expenditure - Information and Technology" - excess of Rs.348.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.675.00 lakhs) was due to implementation of modernisation process.

(B) "Regulation and Development of Mines - Bureau of Mines - Indian Bureau of Mines" - excess of Rs.196.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2784.50 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4853'' अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	4112.00	115.00	110.77	–4.23
पु.	R.	–3997.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष '6853'' अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6853" Loans for Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
पू.	S.	1.00	2500.00	2500.00	. .
पु.	R.	2499.00			

(I) 4003.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष '4853'' - ''अलौह धातु - सार्वजनिक क्षेत्रा और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड'' के अंतर्गत इक्विटी को योजनेतर कर्ज में संपरिवर्तित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.4003.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.4000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4853" - "Non-Ferrous Metals - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Copper Ltd." - due to conversion of Equity into Non-Plan loan.

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2499.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष '6853'' - ''अन्य खनन तथा धातुकर्म उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड'' के अंतर्गत दिसंबर, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

5. The above savings were partly (Rs.2499.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2005 under Major Head "6853" - "Other Mining and Metallurgical Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Copper Ltd.".